GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 92
ANSWERED ON 04.12.2024

Guidelines on school safety in Uttar Pradesh

92 # **Shri Naveen Jain**:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the aims and objectives of the new school safety guidelines to ensure safety of students in both private and Government schools;

(b) the details of safety concerns addressed by the guidelines; and

(c) the efforts made by the Ministry for the implementation of the guidelines in the States including the State of Uttar Pradesh?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(SHRI JAYANT CHAUDHARY)

(a) to (c): A Statement is laid on the table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 92 FOR 04.12.2024 ASKED BY HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT SHRI NAVEEN JAIN REGARDING GUIDELINES ON SCHOOL SAFETY IN UTTAR PRADESH

(a) to (c): Government of India has issued various guidelines from time to time for ensuring safety and security of children in schools to all States/ UTs. Education is in the Concurrent list of the Constitution and majority of the schools are under the administrative control of respective State Government and UT Administration. The guidelines are as under:-

1. Guidelines on School Safety and Security by Department of School Education and Literacy issued on 01.10.2021. These guidelines are uploaded on the website of DoSEL at https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf
2. NCPCR examined and compiled different guidelines and developed a comprehensive manual titled- "Manual on Safety and Security of Children in Schools" dated 26.02.2018. The manual is available at the link: https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf
3. Guidelines on School Safety Policy by the National Disaster Management Authority (NDMA) issued on 27.02.2017. These guidelines are available at the link: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf

These guidelines shared with all States/UTs interalia contain provisions for ensuring the safety and security of children in schools and fixing the accountability of various stakeholders and different departments. DoSEL guidelines are advisory in nature and States/UTs are expected to implement them and they may incorporate additions/modifications to them, according to their specific requirements.

The guidelines aim to foster collaboration among stakeholders for a safe school environment, raise awareness of existing safety policies, clarify roles in implementation, assign accountability for child safety during school activities and transportation, and enforce a strict 'Zero Tolerance Policy' against negligence.

DoSEL's guidelines on School Safety and Security are to be read with National Disaster Management Authority's (NDMA) National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy which are statutory in nature and are required to be complied without any deviation.

The NDMA guidelines provide for monitoring of implementation of the National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy on designated activities like conducting annual mock drills, installation of fire-extinguishers, training of students and teachers in school safety and disaster preparedness, adherence to safety norms with respect to storage of inflammable and toxic material and grant of recognition certificate only to those schools that comply with structural safety norms specifically pertain to fire safety.

DoSEL on 22.08.2024 reiterated States/UTs to implement the Guidelines on School Safety and Security in spirit to ensure the safety and security of children in schools.

Uttar Pradesh Government has on 14.10.2024 circulated the 'Guidelines on School Safety and Security' dated 01.10.2024 issued by Department of School Education and Literacy.

*****

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 92

उत्तर देने की तारीख-04/12/2024

उत्तर प्रदेश में विद्यालय-सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश

92# **श्री नवीन जैन:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी और सरकारी दोनों तरह के विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय-सुरक्षा संबंधी नए दिशानिर्देशों के लक्ष्य और उदेश्य क्या हैं;

(ख) दिशानिर्देशों में सुरक्षा संबंधी किन सरोकारों के बारे में निर्देश हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों में इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

उत्तर प्रदेश में विद्यालय-सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नवीन जैन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 92 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल संरक्षा और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01.10.2021 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

2. एनसीपीसीआर ने विभिन्न दिशा-निर्देशों की जांच की और उन्हें संकलित किया तथा दिनांक 26.02.2018 के "स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल" शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल तैयार किया। यह मैनुअल https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा स्कूल संरक्षा नीति संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की सरंक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिशा-निर्देश सलाहकार प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है तथा वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्धन/संशोधन शामिल कर सकते हैं।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्कूल में सुरक्षित वातावरण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना,मौजूदा सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन में भूमिकाओं को स्पष्ट करना, स्कूल की गतिविधियों और परिवहन के दौरान बाल संरक्षा के लिए जवाबदेही तय करना और लापरवाही के विरूद्ध सख्त 'शून्य सहनशीलता नीति' लागू करना है।

स्कूल संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के स्कूल संरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो सांविधिक प्रकृति के हैं और बिना किसी विचलन के उनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

एनडीएमए के दिशा-निर्देशों में वार्षिक मॉक ड्रिल आयोजित करना, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण, ज्वलनशील और विषाक्त सामग्री के भंडारण के संबंध में संरक्षा मानदंडों का पालन और केवल उन स्कूलों को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल है जो विशेष रूप से अग्नि संरक्षा से संबंधित संरचनात्मक संरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं जैसे निर्धारित क्रियाकलापों के संबंध में स्कूल संरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रावधान है।

दिनांक 22.08.2024 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल संरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देशों को लागू करने की बात दोहराई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 14.10.2024 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी दिनांक 01.10.2024 के 'स्कूल सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशानिर्देश' प्रसारित किए हैं।

*****

श्री नवीन जैन: सभापति महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों व आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे विद्यालय परिसर में, जिसमें कक्षाएं भी शामिल हैं, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना है? यदि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है, तो क्या मंत्रालय इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा और संभावित क्रियान्वयन का विवरण क्या है?

श्री जयंत चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सीसीटीवी कैमरा के संबंध में एक महत्वपूर्ण पूरक सवाल पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सेक्शन 5.6, जो संरचना के विषय को लेकर है, जिसका गाइडलाइन्स में जिक्र है, वह specify करता है कि, safety alarms etc., for their functionality to the extent and, wherever possible, CCTV cameras may be installed at entry and exit points and at vulnerable locations in schools. Proper monitoring and storage of such recordings in this case must be ensured. हमने 1 अक्टूबर, 2021 को सभी राज्यों को, सभी यूटीज़ को जो गाइडलाइन्स जारी की हैं, उनका संज्ञान लिया गया है, comprehensive checklist है और उसमें भी सीसीटीवी कैमरों का जिक्र है। हमारे देश में स्कूली सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो सबसे बड़ी योजना है, वह हमारी 'समग्र शिक्षा योजना' है और इसके अंतर्गत भी सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान है। यदि कोई राज्य सरकार 'समग्र शिक्षा योजना' के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री नवीन जैन: सभापति महोदय, क्या माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्यालयों तक लाने और वापस घर ले जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों में कई बार मानक क्षमता के अधिक बच्चों का परिवहन किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। किसी प्रकार की लापरवाही को रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने अभी तक कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं और भविष्य में कौन-कौन से नए उपाय लागू करने की योजना है?

श्री जयंत चौधरी: सभापति महोदय, जब इस तरह की कोई वारदात होती है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी वारदातें हम सभी को झकझोर देती हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। जो operational school safety की परिभाषा है, जिसका guidelines में उल्लेख है, वह कहती है, creating safe environment for children, starting from transportation from their homes to their schools and back. जो गाइडलाइन्स हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चत करने के लिए ही इनको जारी किया गया है। यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर सरकारी स्कूल है, तो विभाग, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स और स्कूल व्यवस्था से जुड़े

सभी लोगों की सामूहिक तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की यह जिम्मेदारी बनती है कि children के लिए safe transportation arrange किया जाए। सर, जो Juvenile Justice Act है, उसकी धारा 75 भी यह कहती है कि, whoever having the actual charge of or control over a child abandons, abuses, exposes or willfully neglects a child or causes or procures a child to be assaulted, abandoned abused or exposed or neglected in a manner likely to cause such child unnecessary mental or physical suffering shall be punishable for a term. उसमें स्कूल ट्रांसपोर्टेशन during or after or before school hours. If it is found that the school which has actual charge or control over child when child is in school has willfully neglected and caused child unnecessary mental or physical suffering, it may be treated as violation of Juvenile Justice Act. इसका कानून में भी स्पष्ट प्रावधान है और इस पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, while it is appreciated that such guidelines have been issued for schools, I would like to know as to how many States have actually responded to these rules, how many have implemented them and is there any plan to make these rules and guidelines legally binding particularly to address recurring safety challenges like inadequate infrastructure,
negligence in addressing bullying, lack of inclusivity for children with disabilities and failure to conduct regular safety audits? So, Sir, can the Minister please tell me whether you plan to incorporate occasional third party audit safety measures in schools?

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, through you, I would like to just give background because she has asked me a question on how legally tenable these guidelines are. The hon. Supreme Court, in Writ petition 136 and 874 of 2017, gave certain directions and para 8.5 (c) of our National Education Policy, 2020 mandates that all schools either private, Government or aided, must establish certain norms for safety and security. सर, एनईपी की गाइडलाइन्स के तहत ही हमने यह गाइडलाइन इश्यू की है। इसके साथ-साथ, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, they have given certain guidelines in this matter. And, most importantly, the National Disaster Management Authority had issued guidelines in February, 2017. The Ministry of Education and the NMDA are jointly working to ensure that these guidelines are fully implemented by States and UTs. And, as recently as 3rd October, 2024, the Joint Monitoring Committee of NDMA and the Ministry of Education had dialogues with the States to ensure that these guidelines are fully implemented. The JMC is a very powerful instrument and this was the sixteenth

meeting that was held. I am trying to say that we are regularly monitoring working with the States. Of course, situation varies. But, guidelines have been communicated to 21 States. Some have adopted them *in toto*, some have adopted them according to the situation in the State. But, as all the hon. Members know that 'Education' is a 'Concurrent' subject, it is for the States and the UTs to fully implement these guidelines.

श्री अरुण सिंहः सर, बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सर, जब चार मंजिल की बिल्डिंग बनती है, तो सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से सेटबेक एरिया छोड़ा जाता है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने नए स्कूल्स नहीं बनाए हैं, बल्कि जो पुराने स्कूल्स हैं, उन्हीं को चार मंजिला खड़ा कर दिया है। मैंने कई जगह जाकर देखा है कि जो सेटबेक एरिया होता है, जिससे आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बच्चों को बचा सके, उसमें उन नियमों का उल्लंघन किया गया है। मैं मयूर विहार के स्कूल में भी गया था। मैंने वहाँ पर भी यह देखा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जब दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार खुद स्कूल की बिल्डिंग बनाती है, क्या तब उसके compliances की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजती है? अगर उसमें अवहेलना होती है, तब इंस्पेक्शन करते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंहः सर, नए स्कूल्स... ...(**व्यवधान**)...

श्री अरुण सिंहः मैं मयूर विहार में जाकर देखकर आया हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. *...(Interruptions)...*

श्री संजय सिंहः *

श्री अरुण सिंहः मयूर विहार में एक मंजिल की बिल्डिंग है, उसे चार मंजिल कर दिया है। ...(**व्यवधान**)... सर, एक भी नहीं बनाया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No; no. *...(Interruptions)...* Nothing is going on record, except what Shri Arun Singh is saying. *...(Interruptions)...* Please continue. *...(Interruptions)...*

श्री अरुण सिंहः सर, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ। ..(**व्यवधान**)... जहाँ एक हजार बच्चे थे, आज वहाँ 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। ..(**व्यवधान**)... वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। ..(**व्यवधान**)... अगर आग लग जाए, ऐसे में, दिल्ली सरकार बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है।

* Not recorded.

...(**व्यवधान**)... मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने जो नियमों की अवहेलना की है, बच्चों के जीवन को पूरी तरह से इग्नोर किया है ... ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. *...(Interruptions)...*

श्री अरुण सिंहः मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास यह अधिकार है कि ऐसे स्कूल्स, जहाँ पर नियमों की अवहेलना की गई है, उन पर कार्रवाई कर सकें? ...(**व्यवधान**)... मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मयूर विहार में रहा हूँ, आप चलकर देख लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I know you are in crossfire. *...(Interruptions)...* Hon. Minister, please. *...(Interruptions)...* Nothing is going on record, except what the hon. Minister is saying. *...(Interruptions)...*

श्री जयंत चौधरीः सर, संविधान की सातवीं अनुसूची में शिक्षा का विषय है... ...(**व्यवधान**)... मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से, एनडीएमए statutory बॉडी है। ...(**व्यवधान**)... एनडीएमए की गाइडलाइंस को मानना... ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Don't make it a public platform. *...(Interruptions)...* Don't make it a public platform. *...(Interruptions)...* आप यह क्या कर रहे हैं? Hon. Minister. *...(Interruptions)...* Nothing, except what hon. Minister is saying, is going on record. *...(Interruptions)...*

SHRI JAYANT CHAUDHARY: Sir, the NDMA is a statutory body and it has given guidelines. What the hon. Member is referring to, it relates to the basic infrastructure facilities. And, construction must abide by the norms and guidelines set by the NDMA. If there is any specific infringement of said guidelines, the hon. Member can bring it to our attention. We will take it up with the concerned State Government.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether the Union Government has conducted any awareness programme for school authorities and staff regarding the new safety guidelines. If so, the details of such programmes. Also, what steps are being taken to monitor adherence to these safety guidelines in schools, especially in rural areas and remote regions?

MR. CHAIRMAN: Very brief and focused question.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: I will give a brief reply, Sir. Hon. Member comes from the State of Tamil Nadu. And, the State of Tamil Nadu has also notified our guidelines on 15/10/2024. And, this is pursuant to many attempts by the Ministry of Education to work proactively with the States and UTs. As recently as in August, 2024, we had another dialogue with all the States to ensure that monitoring and implementation is done firmly.

MR. CHAIRMAN: Q.No.93.